




माह अक्टूबर के उत्तर मध्य रेलवे/रे.सु.ब. प्रयागराज के चयनित अच्छे कार्य की रिपोर्ट निम्नवत है:-

क्र. सं.	मण्डल	विवरण	फोटो
01.	प्रयागराज	<p>01. दिनांक 18.10.2022 को उपनिरीक्षक अमित द्विवेदी रे.सु.ब. पोस्ट कानपुर पोस्ट, कांस्टेबल सोमनाथ डिटैक्टिव विंग कानपुर व निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह मय स्टाफ जीआरपी कानपुर द्वारा यात्रियों के मोबाइल व सामान चोरी करने वाले 02 आरोपियों को हैरिशगंज पुल के पास दिल्ली छोर पर पीपल के पेड़ के पास बने चबूतरे के पास पकड़ा गया।</p> <p>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-</p> <ol style="list-style-type: none"> अंकित यादव पुत्र स्व० रामाधार, उम्र-22 वर्ष, निवासी-फिरोजपुर, थाना-तालग्राम, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश। मो० रफीक पुत्र मो. अजीज उम्र- 19 वर्ष, निवासी-बाँसमण्डी, जार्ज वाली बिल्डिंग, थाना -अनवरगंज, जिला-कानपुर, उत्तर प्रदेश। <p>बरामद सम्पति-</p> <p>05 अदद विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, एक जोड़ा पायल सफेद धातु, 700 रुपये नगद अनुमानित कीमत- 1,00,000/-रुपये लगभग।</p> <p>सम्बद्ध मुकदमे-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-मु०अ०सं० 83/22 U/S 379, 411 IPC, GRP CNB, 2-मु०अ०सं० 89/22 U/S 379, 411 IPC, GRP CNB, 3-मु०अ०सं० 58/22 U/S 380, 411 IPC, GRP CNB 4-मु०अ०सं० 197/22 U/S 379, 411, IPC, GRP CNB <p>आरोपी अंकित यादव के विरुद्ध दर्ज मुकदमे-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.मु०अ०सं० 117/16 U/S 414 IPC, थाना तालग्राम कानपुर, 2.मु०अ०सं० 168/16 U/S 379 411, IPC , थाना तालग्राम कानपुर, 3.मु०अ०सं० 170/16 U/S 3/25 आर्म्स एक्ट , थाना तालग्राम कानपुर, 4.मु०अ०सं० 194/16 U/S 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम , थाना तालग्राम कानपुर, <p>आरोपी मो० रफीक के विरुद्ध दर्ज मुकदमे-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.मु०अ०सं० 69/19 U/S 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बेकनगंज कानपुर। 	
02.	प्रयागराज	<p>दिनांक 18.10.2022 को MCR/TDL से सूचना प्राप्त हुयी कि गाड़ी संख्या 12304 के कोच S-5 में एक काले रंग का बैग है जिस पर टेलोनेट लिखा है, उतरवाना है, सूचना पर ASI मनोहर लाल मौर्या, हेड कांस्टेबल नुरुद्दीन द्वारा उक्त गाड़ी को अटेंड कर उक्त काले रंग के बैग को उतार कर रे.सु.ब. पोस्ट टूण्डला लेकर आए तथा यात्री सरोजित सरकार को सूचना दी गयी। सूचना पर यात्री सरोजित सरकार आरपीएफ पोस्ट उपस्थित हुए तथा बैग में कपड़ा, खाना 100000/- रू नगद व आधार कार्ड होना बताया। उक्त बैग को चेक कराकर यात्री सरोजित सरकार को सही सलामत सुपुर्द किया गया।</p>	
03.	झांसी	<p>रे०सु०ब० पोस्ट-वीजीएलबी</p> <p>दिनांक 08.10.2022 को निरीक्षक रे.सु.ब. पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, निरीक्षक डिटैक्टिव विंग झांसी व जीआरपी झांसी द्वारा संयुक्तरूप से 01 शातिर मोबाइल चोर को मय 04 अदद चोरित मोबाइल के साथ झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म न० 4/5 की तरफ नेम बोर्ड दिल्ली एंड के पास पकड़ा गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि उक्त मोबाइल को पूर्व में झांसी स्टेशन आने जाने वाली ट्रेनों से चुराया था।</p> <p>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</p> <ol style="list-style-type: none"> राजकुमार उर्फ बब्लू पुत्र टेकचंद उम्र-25 वर्ष, निवासी-147सी संजय नगर, NIT सेक्टर 07, थाना-फरीदाबाद, हरियाणा। <p>बरामदगी-</p> <ol style="list-style-type: none"> सैमसंग A- 9 प्रो कंपनी मोबाइल फोन सैमसंग मोबाइल फोन ओप्पो मोबाइल फोन 	

		<p>04. सैमसंग कीपैड मोबाइल फोन कुल कीमत करीब 62,200/- रुपए कृत कार्यवाही आरोपी को जीआरपी झांसी में पहले से दर्ज 01. मु0अ0सं0 72/2022 धारा 380, 411,414आईपीसी 02. मु0अ0सं0 218/2022धारा 380,411,414 आईपीसी 03. मु0अ0सं0 133/2022 धारा 380,411, 427 आईपीसी बनाम अज्ञात से संबद्ध किया गया किया गया गिरफ्तार करने वाली टीम- रे.सु.ब.पोस्ट वीजीएलबी- 01 उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह यादव, 02.आरक्षक हेमंत कुमार 03. आरक्षक अरुण सिंह राठौर डिटेक्टिव विंग झांसी जीआरपी झांसी स्टेशन- 01. उप निरी मनोज उज्जवल, 02. है0का0 अमृत सिंह, 03. कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ।</p>	
04.	आगरा	<p>दिनांक 29.10.2022 को सीआईबी (D&I) आगरा, सीपीडीएस टीम आगरा व रे0सु0ब0 पोस्ट धौलपुर द्वारा अवैध सॉफ्टवेयर COVID के माध्यम से पर्सनल यूजर-आईडी से रेलवे ई-टिकट आरक्षित कर अधिक मूल्य पर बेचने के आरोप में 01 व्यक्ति राजपाल प्रजापति को गांव-गुवरैडा, थाना-मासलपुर, जिला-करौली राजस्थान स्थित दुकान गोल्डन कंप्यूटर-ई मित्र सेवा केंद्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास 33 पर्सनल यूजर आईडी व 04 भविष्य यात्रा व 02 भूतकाल यात्रा ई-टिकट मिली। आरोपी का नाम पता- राजपाल पुत्र हरिसिंह प्रजापति, उम्र- 26 वर्ष, निवासी- गांव गुवरैडा, थाना-मासलपुर जिला-करौली (राजस्थान) जब्त टिकटों का ब्यौरा:- भविष्य यात्रा के 04 ई-टिकट मूल्य 10895/- एवं भूतकाल यात्रा की 02 ई-टिकट मूल्य रु 3672/- । उपरोक्त 33 पर्सनल यूजर आईडी से कुल 8,20,305 (आठ लाख बीस लाख तीन सौ पांच रूपये) की टिकट बुक करना पाया गया । जब्त सामग्री:- 01 लैपटॉप, 01 मोबाइल रेडमी , 01 प्रिंटर कृत कार्यवाही:- उक्त आरोपी के विरुद्ध रे0सु0ब0 पोस्ट धौलपुर पर मु0अ0सं0 576/2022 अन्तर्गत धारा 143 रेलवे एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार करने वाली टीम- 1. उपनिरीक्षक एल.पी.पचौरी , 2 कांस्टेबल दिलीप मीना , 3. उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह सोलंकी , कांस्टेबल ओमवीर सिंह , 5. कांस्टेबल अजय सिंह सीपीडीएस/आगरा 6. सहायक उपनिरीक्षक राजा राम मीना , 7 कांस्टेबल शान साय मीना सीआईबी/आगरा ।</p>	